



2026:AHC:171030

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8238 वर्ष 2026

वीरेंद्र चौधरी उर्फ वीरेंद्र सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आदित्य कान्त शर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 220 वर्ष 2007, धारा 147, 323, 504, 506, 342, 364-ए भारतीय दंड संहिता, थाना- सूरिर, जनपद-मथुरा में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था। आवेदक का नाम सूचनाकर्ता के दूसरे कथन में सामने आया है। सह-अभियुक्त लाखो उर्फ लखन सिंह नौहर, राजेंद्र नौहर एवं राम कुमार चौधरी उर्फ राम कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 1917 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्तों के समान आधार पर है।
अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि आवेदक ने सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु आवेदन किया था, जिसे दिनांक 21.02.2023 को निरस्त कर दिया गया था और वह लगभग साढ़े तीन वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष आया है। उसे अपनी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है।

5. पुनः इस विषय पर आते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सह-अभियुक्त जगदीश को आपराधिक विविध आवेदन संख्या 29449 वर्ष 2007 (जगदीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 04.02.2008 के आदेश द्वारा अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया था। उक्त आवेदन दिनांक 09.07.2025 को निरस्त हो गया। इसके पश्चात ही पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक को दीर्घकालिक यकृत रोग है और निश्चित उपचार के रूप में यकृत प्रत्यारोपण की सलाह दी गई है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है।

7. वर्तमान मामले में अंतरिम आदेश सह-अभियुक्त जगदीश द्वारा प्रस्तुत आवेदन आपराधिक विविध आवेदन संख्या 29449 वर्ष 2007 (जगदीश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित किया गया था। आवेदक का दावा है कि उक्त अंतरिम आदेश के फलस्वरूप कार्यवाही लंबित रही और अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक स्वयं को अस्वस्थ बताता है और उसे यकृत प्रत्यारोपण की सलाह दी गई है। इसी प्रकार की स्थिति वाले सह-अभियुक्त लाखो उर्फ लखन सिंह नौहर, राजेंद्र नौहर एवं राम कुमार चौधरी उर्फ राम कुमार को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 1917 वर्ष 2026 में पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे उन्मोचित कर दिया गया है। लगभग अठारह वर्ष की अवधि से विचारण की कार्यवाही स्थगित रही है। न्यायालय की राय में, आवेदक को अब अभिरक्षा में पूछताछ के लिए आवश्यकता नहीं है। उसने संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तथा विचारण के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने का वचन दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

10. आवेदक-वीरेंद्र चौधरी उर्फ वीरेंद्र सिंह आज से चार सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर अपने व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

i. आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्मुक्त न किया जाए;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।